

विद्युत पैकेज संख्या-4 व 6 दिनांक 18.02.2017



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**


क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे.1710 दि. 20/02/2017
आदेश

विषय – मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच के सम्बन्ध में।

मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच की साधारणतया आवश्यकता नहीं है। कई उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने पर प्लैट रेट के अनुसार बिलिंग की जाती है। ऐसे मामलों में यह निर्देशित किया जाता है कि मीटर खराब होने की स्थिति में भार की जाँच की जावे एवं उपभोक्ता को एक माह का नोटिस देकर उपभोक्ता द्वारा नोटिस का उत्तर मिलने के पश्चात् या 30 दिन बाद ही भार बढ़ाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

जिन उपभोक्ताओं की जाँच किये बिना अथवा उपभोक्ता के आवेदन किये बिना ही बढे हुये भार की बिलिंग की जा रही है। ऐसे प्रकरण में पूर्व में स्वीकृत भार के अनुसार ही बिल जारी किये जावे। विवाद की स्थिति में समझौता समिति के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

आज्ञा से




(यू.एस.चौहान)

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 01

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, () जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियन्ता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु)।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु)।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।


अधीक्षण अभियन्ता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 02